भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4291
19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों का नामांकन
4291. श्री अजय कुमार मंडलः
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को समझने और इसमें नामांकन कराने में किसानों की सहायता हेतु मोबाइल ऐप और ग्राम-स्तरीय डिजिटल कियोस्क जैसी नवोन्मेषी आउटरीच विधियों का उपयोग किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी सफलता मिली है;
(ख) क्या विशेषकर जलवायु सम्बंधी चुनौतियों का सामना कर रहे बिहार जैसे क्षेत्रों में फसल संबंधी जोखिमों का पूर्वानुमान लगाने और किसानों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या फसल निगरानी के लिए स्मार्ट प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली प्रायोगिक परियोजनाओं से कोई सफलता प्राप्त हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किसानों को इससे क्या लाभ प्राप्त हुआ है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में उन्नत तकनीक के उपयोग की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, किसानों तक योजना की जानकारी पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) और मध्यस्थ नामांकन हेतु ऐप्लिकेशन (AIDE) विकसित किए गए हैं। किसान पोर्टल और ऐप के माध्यम से अपना बीमा करा सकते हैं और अपने आवेदन, दावों आदि की स्थिति की जाँच कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) के अंतर्गत ग्राम स्तरीय उद्यमियों को भी किसानों का नामांकन करने और योजना के अंतर्गत कवरेज, दावों आदि के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए नियुक्त किया गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान, AIDE App और सीधे NCIP पर 22.87 लाख किसान आवेदनों का नामांकन किया गया है।

(ख): सरकार ने योजना के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे योजना के कार्यान्वयन में टेक्नॉलजी का लाभ उठाना, NCIP पर सीधे अपलोड करने के लिए CCE-Agri App के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (CCE) का डेटा एकत्र करना, बीमा कंपनियों को CCE के संचालन को देखने की अनुमति देना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत करना, किसानों के लिए ऐप शुरू करना जहां वे अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकें और CSC के माध्यम से किसानों का नामांकन आदि।

PMFBY योजना के संबंध में किसानों की सहायता के लिए “PMFBY WhatsApp Chatbot” नामक एक AI आधारित चैटबॉट शुरू किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार ने किसानों की सहायता के लिए कृषि क्षेत्र की विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने हेतु आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) विधियों का उपयोग किया है। कुछ पहलें निम्नानुसार हैं:

i. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने में किसानों की सहायता के लिए, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) से संचालित चैटबॉट ‘किसान ई-मित्र’ विकसित किया गया है। यह समाधान कई भाषाओं में उपलब्ध है और अन्य सरकारी कार्यक्रमों में सहायता के लिए विकसित किया जा रहा है।
ii. जलवायु परिवर्तन के कारण उपज की नुकसान से निपटने के लिए राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली, फसलों में कीटों के संक्रमण का पता लगाने के लिए ए.आई. और मशीन लर्निंग का उपयोग करती है, जिससे स्वस्थ फसलों के लिए समय पर हस्तक्षेप संभव हो पाता है।

देश में खरीफ 2016 सीज़न से शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) राज्यों और किसानों दोनों के लिए स्वैच्छिक है। बिहार सरकार ने शुरुआत में इस योजना को दो वर्षों अर्थात वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए कार्यान्वित किया था और उसके बाद से इसे कार्यान्वित नहीं किया है। हालाँकि, वे अपनी स्वयं की योजना, "बिहार राज्य फसल सहायता योजना", कार्यान्वित कर रहे हैं, जो एक गैर-बीमा, राहत सहायता योजना है।

(ग): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (MNCFC) के माध्यम से विभिन्न सरकारी और निजी एजेंसियों को शामिल कर टेक्नॉलजी का उपयोग करते हुए PMFBY के तहत समय पर और पारदर्शी उपज अनुमान के लिए पायलट अध्ययन किए हैं। इन पायलट अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर और स्टेकहोल्डर्स एवं तकनीकी परामर्श के साथ चर्चा के बाद, खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसलों के लिए और खरीफ 2024 से सोयाबीन की फसल के लिए **यस-टेक (यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नॉलजी)** शुरू की गई है। सरकार ने फसल नुकसान के आकलन में सुधार और किसानों के लिए समय पर बीमा दावों के भुगतान को प्राप्त करने के लिए पारंपरिक फसल कटाई प्रयोगों (CCE) पर आधारित उपज अनुमान के संयोजन में प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान को कार्यान्वित किया है। इस पहल के तहत, उपज अनुमान के लिए 30% भारांश अनिवार्य रूप से यस-टेक से प्राप्त उपज अनुमान को दिया जाता है।

वर्तमान में 10 राज्य यस-टेक को कार्यान्वित कर रहे हैं और यस-टेक का उपयोग करके दावों और भुगतान की सफलतापूर्वक गणना कर रहे हैं। यस-टेक के अंतर्गत इन राज्यों में किसी भी स्टेकहोल्डर की ओर से कोई विवाद सामने नहीं आया है, जिससे प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ी है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार 100% तकनीक आधारित उपज अनुमान कार्यान्वित कर रही है।

*****